न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 415/2016.

नन्दी बाई पत्नि स्व0 रामचरण जाति कलाल निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां

.... वादी

♠ बनाम ♠

1. हेमराज पुत्र मथुरालाल जाति राठी निवासी जलोदा तेजाजी हाल पीपल्दा कला तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. लटूरलाल } पुत्रान मथुरालाल जाति राठी निवासी जलोदा तेजाजी
3. कन्हैयालाल
4. उर्मिला पुत्री मथुरालाल जाति राठी निवासी पीपल्दा कला तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा मांगरोल जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांक: 15.07.2016 निर्णय दिनांक : 19.07.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी ग्राम जलोदा की निवासी है जिसके पति की मृत्यु करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता मथुरालाल पुत्र गोपाल के खाते की आराजी खाता संख्या 125 खसरा नं0 229 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 413 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम जलोदा तेजाजी में स्थित थी। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मृतक पिता मथुरालाल ने अपने शामलाती खाता आराजी में अपने हिस्से कि आराजी खसरा नं0 229 रकबा 1.47 है0 में से जिसमे मृतक मथुरालाल का हिस्सा 5/6 नीहित था जिसमें से वादनी को हिस्सा 5/6 का 24/61 अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 20/61वा हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2005 को बेचान कर हिस्सा आराजी पर वादनी को काबिज व दाखिल करा दिया था परन्तु वादनी अपने नाम नामान्तकरण दर्ज नही करा सकी थी। वादनी खसरा नं0 229 रकबा 1.47 है0 में स्थित आराजी हिस्सा सम्पूर्ण रकबे का 20/61 वा हिस्से पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने की कानूनी अधिकारी है। अतः वादनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादनी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2005 से खरीद शुदा हिस्सा आराजी खसरा नं0 229 रकबा 1.47 है0 में सम्पूर्ण रकबे में से हिस्सा 20/61 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

उक्त आशय का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया। पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि वादनी ने आराजी खसरा नं0 229 रकबा 1.47 है0 में से पंजीयन दस्तावेजानुसार हिस्सा 20/61 जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र अप्रार्थीगण के पिता मथुरालाल से कय की थी। जिससे अप्रार्थीगण सहमत है अतः पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही नियमानुसार करने के लिए तहसीलदार मांगरोल को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2017 को कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप. खण्ड अधिकारी
मांगरोल